# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़(छ.ग.)

## //आदेश//

क्रमांक/ 12060 /न्या.लि./कोरोना सेल/2020 रायगढ़, दिनांक 14/08/2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के पीड़ित/संदेही से संपर्क/दूर रहने एवं इससे बचने के लिए सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाने एवं (COVID-19) के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक 357/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18.07.2020 एवं भारत सरकार तथा छ0ग0 शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/गाईडलाईन के परिपालन में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/11999/न्या.लि./कोरोना सेल/2020, रायगढ़ दिनांक 13.08.2020 एवं क्रमांक 12030/न्या.लि./कोरोना सेल/2020, रायगढ़ दिनांक–14.08.2020 के द्वारा अत्यावश्यक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है, के अनुक्रम में (नगर पंचायत–सरिया/धरमजयगढ़ को छोड़कर) रायगढ़ नगरीय सीमा क्षेत्र में **रायगढ़ मुख्य शहर से आउट–साईट या राज्यमार्ग पर स्थित ट्रक मरम्मत दुकान, स्पेयर पार्स्ट की दुकान एवं टॉयर–ट्यूब की दुकान आदि को सुबह 07:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक** संचालित किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :–

**शर्तें :–**

1. फर्म/संस्थान पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. दुकान/संस्थान में न्यूनतम कर्मचारी रहेंगे, जिन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा दुकान/संस्थान में आने वाले केतागण को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
3. शासन के दिशा–निर्देशानुसार Physical/Social Distancing का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. फर्म/संस्थान में हाथ धोने एवं सेनिटाईजर की व्यवस्था होना अनिवार्य है।
5. भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश /एडवायजरी/आदेश का पालन बंधनकारी होगा।
6. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए संबंधित फर्म के संचालक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
7. उपरोक्त शर्तों तथा शासन के दिशा–निर्देश/एडवायजरी/आदेश की शर्तों का उल्लंघन होने पर भा0द0सं0 1860 की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
8. भविष्य में यदि इस जिले को हॉट–स्पॉट घोषित की जाती है तो यह आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।

**उक्त आदेश दिनांक 16.08.2020 रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 23.08.2020 के रात्रि 11:59 बजे तक प्रभावशील रहेगा।**

**(भीम सिंह)**
**कलेक्टर**
**एवं जिला दण्डाधिकारी**
**रायगढ़ (छ.ग.)**

क्रमशः.......02



Scanned by CamScanner

पृ. क्रमांक / 12060—ए / न्या.लि. / कोरोना / 2020 रायगढ़, दिनांक 14 / 08 / 2020

**प्रतिलिपि :** –

1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
2. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर

—की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

5. पुलिस अधीक्षक, जिला—रायगढ़
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़
7. मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला रायगढ़
8. वाणिज्यिक कर अधिकारी जिला रायगढ़
9. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिल रायगढ़
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम जिला रायगढ़

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11. उप संचालक, जनसम्पर्क जिला रायगढ़ को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
12. सर्व संबंधित फर्म टॉयर—ट्यूब विक्रेता जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

**कलेक्टर**
**एवं जिला दण्डाधिकारी**
**रायगढ़ (छ.ग.)**



Scanned by CamScanner